

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्रा

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 जून 2010—आषाढ़ 5, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जून 2010

फा. क्र. 3(ए)-3-10 इक्कीस-ब (एक).—यतः मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भरती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 12 (2) में यह उपबंध है कि जिला न्यायाधीशों का मूल वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निश्चित नियत अनुपात में होगा और मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भरती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 14(2) में यह उपबंध है कि सिविल न्यायाधीश का मूल वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के निश्चित नियत अनुपात में होगा;

और, यतः, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 13 ए में उपबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, केन्द्रीय संशोधन अधिनियम, 2009 का सं. 23 द्वारा बढ़ाया जा चुका है;

और, यतः, यह समीचीन है कि जिला न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों के मूल वेतन को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बढ़े हुए वेतन के अनुपात में बढ़ाया जाए;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों के वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 है.

(2) यह 1 जनवरी 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. प्रयुक्ति का विस्तार.— ये नियम मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा तथा निम्नतर न्यायिक सेवा के समस्त सदस्यों को लागू होंगे.

3. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “मूल वेतन” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के नियम 9 (21)(ए)(एक) में यथा परिभाषित वेतन;
- (ख) “संवर्ग” से अभिप्रेत है, एक पृथक् यूनिट के रूप में स्वीकृत सेवा की पद संख्या (स्ट्रेथ) या सेवा का भाग;
- (ग) “विद्यमान उपलब्धियों” से अभिप्रेत है, (एक) विद्यमान मूल वेतन (दो) मूल वेतन पर उपयुक्त मंहगाई वेतन (तीन) मूल वेतन+मंहगाई वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त मंहगाई भत्ता तथा (चार) दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से सेवा के सदस्यों को संदत्त हो रही 20 प्रतिशत अंतरिम राहत की राशि;
- (घ) “वर्तमान पद” से अभिप्रेत है, अनुसूची के भाग-एक में दी गई तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पद;
- (ङ) “विद्यमान वेतनमान” सेवाओं के किसी सदस्य के संबंध में विद्यमान वेतनमान से अभिप्रेत है 1 जनवरी, 2006 को किसी सदस्य द्वारा धारित पद पर लागू विद्यमान वेतनमान, चाहे वह मूल या स्थानापन्न रूप में हो, और जो अनुसूची के भाग-एक में दी गई तालिका के कालम (3) में विनिर्दिष्ट हो;

स्पष्टीकरण.—सेवा के किसी सदस्य के मामले में, जो 1 जनवरी, 2006 को छुट्टी पर था या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो या भारत के बाहर बाह्य सेवा में हो, या जो उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में रहते हुए एक या एक से अधिक निचले पदों पर रहो हो, “विद्यमान वेतनमान” में सम्मिलित है, पद पर लागू वेतनमान जो उसके यथास्थिति, छुट्टी या बाह्य सेवा पर रहते हुए, किन्तु किसी उच्चतर पद पर अपने स्थानापन्न रूप में रहते हुए, धारित किया हो.

- (च) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (छ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ज) “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय;
- (झ) अनुसूची के भाग-एक में दी गई तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में “पुनरीक्षित वेतनमान” से अभिप्रेत है, वेतनमान, जो उस तालिका के कालम (4) में उस पद के सामने विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ञ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ट) “सेवा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा एवं निम्नतर न्यायिक सेवा.

4. पुनरीक्षित वेतनमान.—इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से वर्तमान वेतनमान वाले प्रत्येक पद का वेतनमान वह होगा, जो अनुसूची के भाग-एक में दी गई तालिका के कालम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किया गया है.

5. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण.—कोई न्यायिक अधिकारी, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उस पद को, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करेगा :

परन्तु कोई न्यायिक अधिकारी विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन उस तारीख तक आहरित करते रहने का चयन कर सकेगा, जब तक कि वह आगामी वेतनवृद्धि या विद्यमान वेतनमान में पश्चात्पूर्ती वेतनवृद्धियां अर्जित कर लेता या जब तक कि वह अपना पद रिक्त नहीं कर देता अथवा उस वेतनमान में अपना वेतन आहरित करना बंद नहीं कर देता.

स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के परन्तुक के अधीन विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतनमान के संबंध में ही अनुज्ञेय होगा;

स्पष्टीकरण 2.—उपर्युक्त विकल्प सेवाओं के किसी ऐसे सदस्य को अनुज्ञेय नहीं होगा, जो 1 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात्, चाहे शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी दूसरे पद से स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था और उसे केवल वही वेतन अनुज्ञात होगा, जो पुनरीक्षित वेतनमान में अनुज्ञेय है;

स्पष्टीकरण 3.—जहां सेवाओं का कोई सदस्य नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारण किए गए किसी पद के संबंध में, विद्यमान वेतन प्रतिधारित करने के विकल्प का, इस नियम के परन्तुक के अधीन प्रयोग करता है, वहां मूल नियम 22 या 31 के अधीन उस वेतनमान में वेतन के नियमितीकरण के प्रयोजन के लिये उसका मूल वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वह उस दशा में आहरित करता, जबकि वह उस स्थायी पद के संबंध में, जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करता या धारणाधिकार धारण करता, यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता.

6. विकल्प का प्रयोग.—(1) सेवाओं के किसी सदस्य द्वारा नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग, इन नियमों से संलग्न "प्ररूप" में तथा लिखित में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान उस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा:

परन्तु,—

- (क) सेवाओं के किसी ऐसे सदस्य के मामले में, जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या ऐसे आदेश की तारीख को यथास्थिति, छुट्टी पर हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो अथवा भारत के बाहर विदेश सेवा में हो, उक्त विकल्प का प्रयोग राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा;
- (ख) जहां सेवाओं का कोई सदस्य 1 जनवरी 2006 को निलंबन के अधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा, यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो, जो इस उप-नियम में विहित की गई है;
- (ग) यह और कि जहां सेवाओं का कोई सदस्य 1 जनवरी 2006 को कर्तव्य पर था और तत्पश्चात् निलंबित कर दिया गया था और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को भी निलंबित हो, वहां विकल्प का प्रयोग खण्ड (ख) में यथा विहित रीति में किया जा सकेगा;
- (घ) सेवाओं के वे सदस्य भी, जो 1 जनवरी 2006 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग भी कर सकेंगे.

(2) विकल्प न्यायिक सेवाओं के सदस्य द्वारा कार्यालय प्रमुख को (जो उसका वेतन तथा भत्ते आहरित करता है) जिनके अधीन वह उस समय सेवारत हो, उसकी प्रतियां उच्च न्यायालय को देते हुए और यदि वह स्वयं ही कार्यालय प्रमुख है तो उच्च न्यायालय को ससूचित किया जाएगा.

(3) विकल्प के प्राप्त होने पर, उसके प्राप्त होने की तारीख को विकल्प पर ही यथास्थिति, कार्यालय प्रमुख अथवा उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, विकल्प को संबंधित सदस्य की सेवा पुस्तिका में लगाया जाएगा;

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा और यदि उप-नियम (1) में उल्लेखित समय के भीतर और विहित रीति में उसका प्रयोग नहीं किया गया है तो न्यायिक सेवाओं के ऐसे सदस्य के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है;

टिप्पणी 1.— सेवाओं के सदस्य, जिसकी सेवायें 1 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो विहित समय-सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग मृत्यु हो जाने, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिए जाने, पदत्याग, पदच्युति, अनुशासनिक आधारों पर सेवोन्मुक्त होने के कारण नहीं कर सके थे, इन नियम का लाभ उठाने के हकदार हैं.

टिप्पणी 2.— सेवाओं के सदस्य, जिनकी मृत्यु 1 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात्, किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पूर्व हो गई हो, अथवा जिसकी इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् किन्तु विकल्प का प्रयोग करने के लिये विहित कालावधि के पूर्व विकल्प का प्रयोग किये बिना ही मृत्यु हो जाती है, के संबंध में समझा जाएगा कि उसने उस वेतनमान के लिए विकल्प दिया है, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनके लिये लाभप्रद समझा जाए और तदनुसार उसका वेतन नियत किया जाएगा।

7. पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का नियत किया जाना.—(1) सेवाओं के उस सदस्य का, जो 1 जनवरी, 2006 को तथा से पुनरीक्षित वेतनमान द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन चयन करता है या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है, किसी भी दशा में, जब तक कि राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निदेश न दे, प्रारंभिक वेतन का नियतन, उस स्थायी पद पर, जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या यदि उसे निलंबित नहीं कर दिया जाता तो वह धारणाधिकार रखता, उसके मूल वेतन के संबंध में पृथक् से किया जाएगा और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर, उसके वेतन के संबंध में ऐसा मूल वेतन, अनुसूची के भाग-2 में दी गई, वर्तमान वेतनमान से संबंधित सुसंगत तालिका के कालम (5) में, दर्शाए अनुसार तत्स्थानी अवस्था के समकक्ष, जिसमें वह सदस्य वेतन निर्धारण के समय विद्यमान वेतनमान में वेतन पा रहा था, जो उस तालिका के कालम क्रमांक (1) में दर्शाई गई है, दर्शाई राशि के बराबर होगा।

(2) पुनरीक्षित वेतनमान से वेतन नियत करने में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :—

(क) उस दिशा में, जब कोई सेवाओं का सदस्य 1 जनवरी, 2006 के पूर्व उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो, पुनरीक्षित वेतनमान में अपने कनिष्ठ से कम वेतन आहरित करता है, ऐसी रकम तक आगे बढ़ाया जाएगा, जो कनिष्ठ की

पदोन्नति की तारीख से उच्चतर पद में अपने कनिष्ठ के लिये नियत वेतन के बराबर हो;

(ख) उस दशा में, जब कोई अधिकारी 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो, तथा उसका मूल वेतन उच्च वेतनमान की समान अवस्था में निम्न वेतनमान की समान अवस्था से कम हो तो उच्च वेतनमान में उसे आगामी अवस्था में नियत किया जावेगा ताकि उसके मूल वेतन को सुरक्षित किया जा सके;

स्पष्टीकरण 1.—यदि इस प्रकार संगणित किए गए कुल जोड़ में एक रुपए का भाग सम्मिलित हो तो उसे निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.—जहां विद्यमान वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 2006 को देय हो, वहां उसे मूल वेतन के भाग के रूप में माना जाएगा।

8. पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख.—(1) सेवाओं के सदस्य को, पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि उस तारीख को प्रदत्त की जाएगी, जिसको वह यदि वर्तमान वेतनमान में बना रहता तो वेतनवृद्धि आहरित करता।

(2) यदि सेवाओं का कोई सदस्य पुनरीक्षित वेतनमान में, उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन अपनी अगली वेतनवृद्धि आहरित करता है और उसके द्वारा वह अपने वरिष्ठ से, जिसकी अगली वेतनवृद्धि किसी पश्चात्वर्ती तारीख को देय होती हो, उच्चतर वेतन के लिये पात्र हो जाता है, तो ऐसे वरिष्ठ का वेतन उस तारीख से, जिसको कि कनिष्ठ, उच्चतर वेतन के लिये हकदार हो जाता है, कनिष्ठ के वेतन के बराबर पुनर्नियत किया जाएगा, उस दशा में, जब सेवा के सदस्य का वेतन उपर्युक्तानुसार बढ़ता है, तब अगली वेतनवृद्धि आवश्यक अर्हकारी सेवा अर्थात् एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् दी जाएगी।

9. महंगाई भत्ता.—सेवाओं के सदस्यों को तारीख 1 जुलाई, 2006 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू दरों पर महंगाई भत्ता अनुज्ञात किया जायेगा।

10. वेतन के बकाया का भुगतान.—(1) इन नियमों के अधीन वेतन के निर्धारण के परिणामस्वरूप वेतन का वास्तविक बकाया, 1 जनवरी, 2006 से (अर्थात् माह जनवरी, 2006 का वेतन जो माह फरवरी, 2006 में देय हो) किया जावेगा. कुल बकाया

की 60 प्रतिशत के बराबर राशि दो वित्तीय वर्षों में विभक्त कर नगद भुगतान की जायेगी तथा शेष 40 प्रतिशत बकाया वेतन की राशि न्यायिक अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा की जाएगी तथा ऐसे न्यायिक अधिकारियों के मामले में, जिनके सामान्य भविष्य निधि के खाते नहीं हैं, बकाया, अंशदायी भविष्य निधि खाता/अनिवार्य बचत निधि के खाते में तत्काल जमा की जावेगी (अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष में) :

परन्तु यदि किसी कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, सेवाओं के किसी सदस्य अथवा सदस्यों को प्रथम किशत का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में न हो सके तो, यथास्थिति, सदस्य अथवा सदस्यों को दोनों किशतों का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया जावेगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों हेतु सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “वेतन के बकाया” से अभिप्रेत है निम्नलिखित के बीच का अंतर,—

(एक) वेतन तथा मंहगाई भत्ते का योग जो उसे इन नियमों के अधीन वेतन और भत्तों में पुनरीक्षण के कारण देय हो;

(दो) विद्यमान परिलब्धियाँ जिसका कि वह पात्र होता यदि उसके वेतन तथा भत्ते इस प्रकार से पुनरीक्षित न किये जाते।

(2) जहाँ सेवाओं का कोई सदस्य 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् विभिन्न स्थापनाओं पर पदस्थ रहा हो वहाँ, निम्नलिखित अनुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी :—

(एक) ऐसी समस्त स्थापनाएं उस स्थापना को, जहाँ ऐसा सदस्य वेतन के बकाया के भुगतान के समय पदस्थ हो, उसके वेतन जैसे वेतन की बकाया राशि, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत, सकल वेतन, कटौती तथा कोषालय व्हाऊचर नम्बर, बिल नम्बर, नगदीकरण की तारीख आदि से संबंधित ऐसे समस्त सुसंगत विवरण, जो उसकी वर्तमान परिलब्धियों की गणना के लिये आवश्यक हों, भेजेगा;

(दो) भुगतान के ऐसे विवरण प्राप्त होने पर सदस्य को बकाया राशि का भुगतान उस स्थापना द्वारा किया जावेगा जहाँ वह वेतन के बकाया के भुगतान के समय पदस्थ हो;

(तीन) उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के मामले में, वह स्थापना जो वेतन के बकाया की राशि का भुगतान कर रहा हो, उच्च न्यायालय को समस्त विवरण जिसमें बकाया की राशि का गणना पत्रक भी शामिल है, सदस्य की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने हेतु भेजेगा;

(चार) निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के मामलों में, सदस्य की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि उस स्थापना द्वारा की जायेगी जिसके द्वारा वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया गया हो;

(पांच) सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत सदस्यों के मामले में, बकाया राशि का भुगतान तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि उस विभाग द्वारा, जहाँ ऐसा सदस्य पदस्थ है, किया जावेगा;

(छह) ऐसे सदस्यों के मामले में, जो प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में कार्यरत हों अथवा कार्यरत रहे हों, बकाया राशि का भुगतान ऐसी अंतिम स्थापना द्वारा किया जावेगा जहाँ ऐसा सदस्य प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व पदस्थ रहा हो अथवा जहाँ वह प्रतिनियुक्ति पर लौटने के पश्चात् पदस्थ हो तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि भी ऐसी स्थापना द्वारा की जावेगी। बाह्य सेवा से लौट आने की दशा में, इस उप नियम के खण्ड (तीन) तथा खण्ड (चार) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा। तत्पश्चात् किसी भी दशा में, बाह्य सेवा की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान, जिस अवधि में ऐसा सदस्य बाह्य सेवा में रहा हो, उस निकाय द्वारा किया जाएगा, जहाँ ऐसा अधिकारी सेवारत है या प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहा था तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि भी प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिये उसी निकाय द्वारा की जावेगी।

11. (1) **सेवानिवृत्ति लाभ.**—सेवाओं के सदस्य जो 1 जुलाई, 2006 को या उसके पश्चात् मृत्यु या सेवानिवृत्ति के चलते सेवा में नहीं रहे हैं, 1 जनवरी, 2006 से, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये सन्नियमों (नाम्स) पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करेंगे, अर्थात् :—

- (एक) सेवा के सदस्यों की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष होगी;
- (दो) पूर्ण पेंशन अर्जित करने के लिये अर्हकारी सेवा 20 वर्ष होगी, तथा उन सेवा के सदस्यों के संबंध में, जिन्होंने मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की है, उनके द्वारा की गई वास्तविक अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन संगणित की जाएगी;
- (तीन) अंतिम आहरित वेतन, पेंशन के प्रयोजन के लिये परिलब्धियों के रूप में लिया जाएगा तथा पूर्ण पेंशन ऐसी परिलब्धियों की 50 प्रतिशत होगी तथा पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पूर्ण पेंशन ऐसी परिलब्धियों की 30 प्रतिशत होगी;
- (चार) सेवाओं के सदस्यों की पेंशन का अधिकतम सरांशीकरण उनकी पेंशन का 50 प्रतिशत तक ही होगा तथा पेंशन का प्रत्यावर्तन 15 वर्ष के पश्चात् होगा;
- (पांच) सरांशीकरण पर देय एकमुश्त राशि की संगणना अनुसूची के भाग-3 में दी गई तालिका के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर की जाएगी. इस नियम के प्रयोजन के लिये हासित जीवनकाल की दशा में आयु ऐसी आयु मानी जाएगी, जो उस वास्तविक आयु से कम न हो, जैसा कि प्रमाणित करने वाला चिकित्सीय प्राधिकारी निदेशित करे. मूल्यों की तालिका में प्रशासनिक मंजूरी की तारीख से सरांशीकरण की तारीख तक और वह तारीख जिस पर सरांशीकरण होना हो, के बीच उपान्तरण होने की दशा में पूर्ण भुगतान उपांतरित तालिका के अनुसार किया जाएगा और आवेदक के लिये यह खुला होगा कि यदि उपांतरित तालिका पूर्व में प्रवृत्त तालिका की तुलना में कम अनुकूल है तो वह उस तारीख से जिसको वह उपांतरण की सूचना प्राप्त करता है, 14 दिन के भीतर, भेजी गई लिखित सूचना द्वारा अपना आवेदन वापस ले:

परन्तु सेवाओं के ऐसे सदस्यों के मामले में, जिनके मामले में पेंशन का सरांशीकरण किसी आवेदक को तारीख 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात्, परन्तु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व अंतिम हुआ हो, पुनरीक्षण से पूर्व प्रभावशील सरांशीकरण की तालिका के अनुसार सरांशीकरण के मूल्य पुनरीक्षण से पूर्व वेतन/पेंशन के लिये प्रयोग किया जायेगा. ऐसे पेंशनर्स को विकल्प प्राप्त होगा कि वे अतिरिक्त रूप से सरांशीकरण योग्य पेंशन, जो इन नियमों के प्रभावशील होने के पश्चात् तारीख से वेतन/पेंशन के पुनरीक्षण के कारण सरांशीकरण योग्य हुई हो, का सरांशीकरण करवा सकते हैं. ऐसे चयन का उपयोग करने पर पुनरीक्षित सरांशीकरण की तालिका का उपयोग ऐसे अतिरिक्त पेंशन की राशि, जो पुनरीक्षण के कारण सरांशीकरण योग्य हो गई हो, के सरांशीकरण के लिये किया जायेगा. सेवाओं के ऐसे सदस्यों के मामले में, जो इन नियमों के प्रभावशील होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हों, पुनरीक्षित सरांशीकरण की तालिका लागू होगी;

- (छह) अधिकतम पेंशन की अधिकतम सीमा नहीं होगी;
- (सात) उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, पेंशन का सरांशीकरण तथा परिवार पेंशन, मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 के अनुसार होगी,
- (आठ) निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी की परिवार पेंशन का निर्धारण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुसार होगा;

(नौ) वृद्ध/पेंशनरों को उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसार बढ़ा दी जावेगी :—

पेंशनर की आयु (1)	अतिरिक्त पेंशन की राशि (2)
70 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 10 प्रतिशत
75 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु सदैव पेंशन भुगतान आदेश पर दर्शाई जावे ताकि देय होने पर यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सक्षम हो सके. अतिरिक्त पेंशन राशि सुस्पष्ट रूप से पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई जावेगी.

(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा दस लाख रुपये होगी.

(ग्यारह) परिवार पेंशनरों को उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसार बढ़ा दी जावेगी :—

परिवार पेंशनर की आयु (1)	अतिरिक्त पेंशन की राशि (2)
70 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 10 प्रतिशत
75 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 30 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 40 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परिवार पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु सदैव पेंशन भुगतान आदेश पर दर्शाई जावे ताकि देय होने पर यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सक्षम हो सके. अतिरिक्त पेंशन राशि सुस्पष्ट रूप से पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई जावेगी.

(2) पूर्व पेंशनरों के लिये पेंशन संरचना.—वे न्यायिक अधिकारी जो 1 जनवरी, 2006 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे हैं, 1 जनवरी 2006 से, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये सन्नियमों (नामर्स) पर निम्नलिखित पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त करेंगे, अर्थात् :—

(एक) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के उन सेवानिवृत्त सदस्य की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिये बिना कि उसने समय-समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(दो) उन पारिवारिक पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिये बिना कि उसने समय-समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(3) पेंशनरों को मंहगाई राहत.—मंहगाई राहत उन दरों पर देय होगी, जो सेवारत न्यायिक अधिकारियों को मंहगाई भत्ते के रूप में अनुज्ञेय है.

12. **नियमों का अध्यारोही प्रभाव.**—उन मामलों में, जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स), मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 2003 तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हैं।

13. **मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के कतिपय नियमों का लागू होना.**—मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के नियम 5, 6, 7, 10 तथा 11 न्यायिक सेवा को उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत न हों।

14. **शिथिल करने की शक्ति.**—राज्य सरकार, इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल कर सकेगी या निलंबित कर सकेगी, जैसा कि लोकहित में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण या आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन जो न्यायिक अधिकारी के लिए अलाभप्रद और माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विषय में दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल हो, प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

15. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

विकल्प का प्ररूप

(नियम 6 देखिए)

मैं, एतद्वारा, पुनरीक्षित वेतनमान रुपये
का तारीख 1 जनवरी, 2006 से चयन करता हूं

या

मैं, एतद्वारा, अपने मूल/स्थानापन्न पद
के विद्यमान वेतनमान रुपये को,—

(क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक,

या

(ख) मेरा वेतन रुपये तक बढ़ाने वाली पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक, या

(ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक या विद्यमान वेतनमान रुपये में वेतन आहरित करना बंद करने तक जारी रखने का चयन करता हूं.

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

पदनाम

कार्यालय जिसमें नियोजित है

(जो लागू न हो, उसे काद दे).

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री (नाम) द्वारा प्रस्तुत किया गया विकल्प कार्यालय में
तारीख को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अनुसूची

भाग-एक

[नियम 3 (घ) (ड) (ज) एवं नियम-4 देखिए]

अनु- क्रमांक	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(एक) सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	9000-250-10750-300- 13150-350-14550	27700-770-33090-920- 40450-1080-44770
	(दो) सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-2) I एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (I ए.सी.पी.) ग्रेड (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, नान फंक्शनल).	10750-300-13150- 350-14900	33090-920-40450- 1080-45850
	(तीन) सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-1) I एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए.सी.पी.) ग्रेड (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, नान फंक्शनल).	12850-300-13150-350- 15950-400-17750	39530-920-40450-1080- 49090-1230-54010
2	(एक) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, पदोन्नति ग्रेड).	12850-300-13150-350- 15950-400-17750	39530-920-40450-1080- 49090-1230-54010
	(दो) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-2) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में पांच वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् I ए.सी.पी. ग्रेड).	14200-350-15950- 400-18350	43690-1080-49090- 1230-56470
	(तीन) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-1) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में पांच वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् II ए.सी.पी. ग्रेड).	16750-400-19150- 450-20500	51550-1230-58930- 1380-63070
3	जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	16750-400-19150- 450-20500	51550-1230-58930- 1380-63070
4	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान में संवर्ग पदों का 25 प्रतिशत उन व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिन्होंने संवर्ग में लगातार पांच वर्ष की सेवा की हो).	18750-400-19150-450- 21850-500-22850	57700-1230-58930-1380- 67210-1540-70290

(1)	(2)	(3)	(4)
5	जिला न्यायाधीश [अतिकाल वेतनमान (सुपर टाईम स्केल) में संवर्ग पदों का 10 प्रतिशत उन्हें दिया जाएगा, जो चयन ग्रेड जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा में रहे हों].	22850-500-24800	70290-1540-76450

टिप्पणी.—(1) ए.सी.पी. के तौर पर लाभ का दिया जाना स्वतः नहीं होगा बल्कि इस प्रयोजन के लिए गठित उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा उनके कार्य के संपादन के आंकलन पर होगा.

(2) ऐसे मामले में, जहां सिविल न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के संवर्ग में कोई अधिकारी, जिसे ए.सी.पी. दिया गया है, वरिष्ठता तथा योग्यता की अपनी बारी में उच्चतर संवर्ग में कृत्यिक (फंक्शनल) पदोन्नति से इंकार करता है वहां उसे मूल वेतनमान पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा.

(3) जिला न्यायाधीशों को चयन ग्रेड तथा अतिकाल वेतनमान (सुपरटाईम स्केल) योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा.

भाग-दो
[नियम-7(1) देखिये]

तालिका-1

सिविल न्यायाधीश प्रवेश स्तर :

रुपये 9000-250-1050-300-13150-350-14550

अवस्था (1)	वर्तमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतनवृद्धि (2)	मूल वेतन (3)	वेतनवृद्धि (4)	मूल वेतन (5)
1	250	9000	-	27700
2	250	9250	770	28470
3	250	9500	770	29240
4	250	9750	770	30010
5	250	10000	770	30780
6	250	10250	770	31550
7	250	10500	770	32320
8	250	10750	770	33090
9	300	11050	920	34010
10	300	11350	920	34930
11	300	11650	920	35850
12	300	11950	920	36770
13	300	12250	920	37690
14	300	12550	920	38610
15	300	12850	920	39530
16	300	13150	920	40450
17	350	13500	1080	41530
18	350	13850	1080	42610
19	350	14200	1080	43690
20	350	14550	1080	44770

तालिका-2

सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-2) I ए.सी.पी. ग्रेड (प्रवेश की तारीख से पांच वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण होने पर) एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन वेतनमान का प्रथम स्टेज :

रुपये 10750-300-13150-350-14900

अवस्था (1)	वर्तमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतनवृद्धि (2)	मूल वेतन (3)	वेतनवृद्धि (4)	मूल वेतन (5)
1	-	10750	-	33090
2	300	11050	920	34010
3	300	11350	920	34930
4	300	11650	920	35850
5	300	11950	920	36770
6	300	12250	920	37690
7	300	12550	920	38610
8	300	12850	920	39530
9	300	13150	920	40450
10	350	13500	1080	41530
11	350	13850	1080	42610
12	350	14200	1080	43690
13	350	14550	1080	44770
14	350	14900	1080	45850

तालिका-3

(1) सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-1) II ए.सी.पी. ग्रेड (ग्रेड-2 में 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण होने पर) एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन वेतनमान का द्वितीय स्टेज :

रुपये 12850-300-13150-350-15950-400-17550

(2) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (पदोन्नति ग्रेड) :

रुपये 12850-300-13150-350-15950-400-17550

अवस्था (1)	वर्तमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतनवृद्धि (2)	मूल वेतन (3)	वेतनवृद्धि (4)	मूल वेतन (5)
1	-	12850	-	39550
2	300	13150	920	40450
3	350	13500	1080	41530
4	350	13850	1080	42610
5	350	14200	1080	43690
6	350	14550	1080	44770
7	350	14900	1080	45850
8	350	15250	1080	46930
9	350	15600	1080	48010
10	350	15950	1080	49090

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	400	16350	1230	50320
12	400	16750	1230	51550
13	400	17150	1230	52780
14	400	17550	1230	54010

तालिका-4

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ग्रेड-2, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रेड-2 (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संवर्ग में 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण होने पर I ए.सी.पी. स्केल की प्रथम स्टेज)

रुपये 14200-350-15950-400-18350

अवस्था (1)	वर्तमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतनवृद्धि (2)	मूल वेतन (3)	वेतनवृद्धि (4)	मूल वेतन (5)
1	-	14200	-	43690
2	350	14550	1080	44770
3	350	14900	1080	45850
4	350	15250	1080	46930
5	350	15600	1080	48010
6	350	15950	1080	49090
7	400	16350	1230	50320
8	400	16750	1230	51550
9	400	17150	1230	52780
10	400	17550	1230	54010
11	400	17950	1230	55240
12	400	18350	1230	56470

तालिका-5

(एक) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-2) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण होने पर I ए.सी.पी. ग्रेड की द्वितीय स्टेज)

रुपये 16750-400-19150-450-20500

(दो) प्रवर्ग-3 (एक) (ग) जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर

रुपये 16750-400-19150-450-20500

अवस्था (1)	वर्तमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतनवृद्धि (2)	मूल वेतन (3)	वेतनवृद्धि (4)	मूल वेतन (5)
1	-	16750	-	51550
2	400	17150	1230	52780
3	400	17550	1230	54010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	400	17950	1230	55240
5	400	18350	1230	56470
6	400	18750	1230	57700
7	400	19150	1230	58930
8	450	19600	1380	60310
9	450	20050	1380	61690
10	450	20500	1380	63070

तालिका-6

प्रवर्ग-3 (1)(ख) चयन ग्रेड वेतनमान में जिला न्यायाधीश

रुपये 18750-400-19150-450-21850-500-22850

अवस्था (1)	वर्तमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतनवृद्धि (2)	मूल वेतन (3)	वेतनवृद्धि (4)	मूल वेतन (5)
1	-	18750	-	57700
2	400	19150	1230	58930
3	450	19600	1380	60310
4	450	20050	1380	61690
5	450	20500	1380	63070
6	450	20950	1380	64450
7	450	21400	1380	65830
8	450	21850	1380	67210
9	500	22350	1540	68750
10	500	22850	1540	70290

तालिका-7

प्रवर्ग-3 (1)(क) जिला न्यायाधीश (अतिकाल वेतनमान में जिला न्यायाधीश)

रुपये 22850-500-24850

अवस्था (1)	वर्तमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतनवृद्धि (2)	मूल वेतन (3)	वेतनवृद्धि (4)	मूल वेतन (5)
1	-	22850	-	70290
2	500	23350	1540	71850
3	500	23850	1540	73370
4	500	24350	1540	74910
5	500	24850	1540	76450

भाग-तीन
[नियम-11(1)(पांच) देखिये]

संराशीकरण तालिका
1 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन के लिये संराशीकरण

आगामी जन्म तारीख पर आयु (1)	वर्षों की क्रय संख्या के अनुसार अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य (2)	आगामी जन्म तारीख पर आयु (3)	वर्षों की क्रय संख्या के अनुसार अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य (4)
	रुपये पैसे		रुपये पैसे
20	9.188	51	8.808
21	9.187	52	8.768
22	9.186	53	8.724
23	9.185	54	8.678
24	9.184	55	8.627
25	9.183	56	8.572
26	9.182	57	8.512
27	9.180	58	8.446
28	9.178	59	8.371
29	9.176	60	8.287
30	9.173	61	8.194
31	9.169	62	8.093
32	9.164	63	7.982
33	9.159	64	7.862
34	9.152	65	7.731
35	9.145	66	7.591
36	9.136	67	7.413
37	9.126	68	7.262
38	9.116	69	7.083
39	9.103	70	6.897
40	9.090	71	6.703
41	9.075	72	6.502
42	9.059	73	6.296
43	9.040	74	6.085
44	9.019	75	5.872
45	8.996	76	5.657
46	8.971	77	5.443
47	8.943	78	5.229
48	8.913	79	5.018
49	8.881	80	4.812
50	8.846	81	4.611

आधार एल.आई.सी. (94-96) अल्टीमेट टेबिल्स तथा 8 प्रतिशत ब्याज.

F: No. 3(A)-3-10-XXI-B(1).—WHEREAS, rule 12 (2) of the Madhya Pradesh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994 provides that the basic pay of District Judges shall be in certain fix proportion of the salary of High Court Judges and rule 14(2) of the Madhya Pradesh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994 provides that the basic pay of Civil Judge shall be in certain fix proportion of the salary of High Court Judge;

AND, WHEREAS, the salary of the High Court Judges provided in Section 13A of the High Court. Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (No. 28 of 1954) have been enhanced by the amending Central Act No. 23 of 2009;

AND, WHEREAS, it is expedient to enhance the basic pay of District Judges and Civil Judges in proportionate to enhanced salary of High Court Judges;

NOW, THEREFORE, exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to revision of pay, pension and other retirement benefits of the members of the Madhya Pradesh Judicial Services, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force on the First day of January, 2006.

2. **Extent of Application.**—These rules shall apply to all the members of the Madhya Pradesh Higher Judicial Service and Lower Judicial Service.

3. **Definitions.**—In these rules; unless the context otherwise requires,—

- (a) “**basic pay**” means pay as defined in rule 9 (21) (a) (i) of the Madhya Pradesh Fundamental Rules;
- (b) “**cadre**” means the strength or a part of service sanctioned as a separate unit;
- (c) “**existing emoluments**” means the sum of (i) existing basic pay (ii) dearness pay appropriate to the basic pay, (iii) dearness allowance appropriate to the basic pay plus dearness pay and (iv) 20% interim relief being paid to the members of the services w.e.f. 1st September, 2008;
- (d) “**existing post**” means the post specified in column (2) of table given in Part-I of the Schedule;
- (e) “**existing scale**” in relation to a member of the services means the present scale applicable to the post held by the member as on the 1st day of January, 2006, whether in a substantive or officiating capacity, and specified in column (3) of table given in Part-I of the Schedule;

Explanation.—In the case of a member of the services, who was on the 1st day of January, 2006, on leave or on deputation outside the State or on foreign service out of India, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, “existing scale” includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on leave or on foreign service, as the case may be, but for his officiating in a higher post;

- (f) “**Form**” means Form appended to these rules;
- (g) “**Government**” means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) “**High Court**” means the High Court of Madhya Pradesh;
- (i) “**revised scale**” in relation to any post specified in column (2) of table given in Part-I of the Schedule means the scale of pay specified against that post in column (4) thereof;

- (j) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
- (k) "Service" means the Madhya Pradesh Higher Judicial Service and Lower Judicial Service.

4. **Revised Scale of Pay.**—From the date of commencement of these rules, the scale of pay of every post carrying existing scale of pay shall be as specified in the corresponding entry in column (4) of table given in Part-I of the Schedule.

5. **Drawal of Pay in the revised scale of pay.**—Save as otherwise provided in these rules, a Judicial Officer shall draw pay in the revised scale applicable to the post to which he is appointed:

Provided that a Judicial Officer may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or subsequent increments in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale.

Explanation 1.—The option to retain the existing scale under the proviso to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.

Explanation 2.—The aforesaid option shall not be admissible to any member of Services appointed to post on or after 1st day of January 2006, whether for the first time in Government Service or by transfer or promotion from another post and he shall be allowed pay only as admissible in the revised scale.

Explanation 3.—Where a member of Services exercises the option under the proviso to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis, for the purpose of regulation of pay in that scale under Fundamental Rules 22 or 31, his substantive pay shall be the substantive pay which he would have drawn had he retained the existing scale in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not be suspended.

6. **Exercise of option.**—(1) The option under the proviso to rule 5 shall be exercised by a member of Services in writing and in the "Form" appended to these rules within three months from the date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order made subsequent to that date, within three months from the date of such order:

Provided that—

- (a) in case of a member of Services who on the date of publication of these rules or, on the date of such order, as the case may be, is on leave or on deputation outside the State or on foreign service out of India, may exercise the said option within three months from the date of his taking over charge under the Government;
- (b) where a member of Services is under suspension on the 1st day of January, 2006, the option may be exercised within three months from the date of his return to duty, if that date is later than the dates prescribed in this sub-rule;
- (c) further, where a member of Services was on duty as on 1st January, 2006 and was suspended subsequently and is still under suspension on the date of publication of these rules, the option may be exercised in the manner as prescribed in clause (b);
- (d) those member of Services retiring after 1st January, 2006 and before publication of these rules shall also exercise option under this rule.

(2) The option shall be communicated by the member of the Judicial Services to the Head of Office, (who draws his pay and allowances) under which he may be serving at the time with copies thereof to the High Court, and if he himself is the Head of Office, to the High Court.

(3) On receipt of option, the date of its receipt shall be certified on the option itself by the Head of the Office or the High Court, as the case may be. The option shall be pasted in the Service Book of the member concerned.

(4) The option once exercised shall be final and if it is not exercised within the time mentioned in sub-rule (1) and in the prescribed manner, such member of the Judicial Services shall be deemed to have elected the revised scale with effect from 1 st January, 2006.

Note 1.—Members of the Services whose services were terminated on or after the 1st January, 2006 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of death, discharge on the expiry of sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds are entitled to the benefit of this rule.

Note 2.—A member of Judicial Services who may have died on or after 1st January, 2006 but before the publication of these rules or who dies after the publication of these rules but before the period prescribed for exercise of option without exercising the option shall be deemed to have opted for that scale, that may be found beneficial to him by the authority concerned and his pay may be fixed accordingly.

7. Fixation of initial pay in the revised scale of pay.—(1) The initial pay of a member of Services who elected, or is deemed to have elected under rule 6 to be governed by the revised scale on and from 1st day of January, 2006, shall, unless in any case, the Government by special order otherwise direct, be fixed separate in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in officiating post held by him, and shall be as shown in column (5) of relevant table pertaining to the existing scale applicable to him and specified in tables given in Part-II of the Schedule, against the corresponding stage, he is drawing basic pay in the existing scale, shown in column (1) in the same table thereof.

(2) In fixing the pay from the revised scale, the following factors shall be taken into consideration:—

- (a) In case, a member promoted to a higher post before 1st January, 2006 draws less pay in the revised scale than his junior shall be advanced to an amount to the pay fixed for his junior in the higher post, from the date of promotion of the junior.
- (b) In case, an officer promoted to a higher post after 1st January, 2006, and his basic pay in the scale of higher post is less than the basic pay he was drawing in the corresponding stage in the lower scale, his pay shall be advanced to a stage so as to protect his basic pay.

Explanation 1.—If the sum total so computed includes a part of a rupee, it shall rounded off to the nearest rupee i.e. less than 50 paise shall be ignored, while 50 paise or more shall be rounded off to next higher rupee.

Explanation 2.—Where increment in the existing scale of pay is payable on 1st January, 2006 it will be treated as part of basic pay.

8. Date of next increment in the revised pay scale.—(1) The next increment of the member of Services in the revised scale shall be granted on the date he would have drawn the increments, had he continued in the present scale.

(2) If a member of the Services draws his next increment in the revised scale under Clause (a) above, thereby becomes eligible for higher pay than his senior whose next increments falls due at a later date, then the pay of such senior shall be re-fixed equal to the pay of the junior from the date on which the junior becomes entitled to higher pay. In case the pay of member of the Services is stepped up as above, the next increment shall be granted after completing requisite qualifying service i.e. one year.

9. **Dearness Allowance.**—The members of the Services shall be allowed Dearness Allowance from 1 st July 2006 at the rates as applicable to the Central Government Employees from time to time.

10. **Payment of arrears of pay.**—(1) The actual arrears of pay as a result of fixation of pay under these rules shall be payable from 1st January 2006 (that is pay for the month of January 2006 payable in February 2006). 60% of the arrears shall be paid in cash, spread over in two financial years and 40% of arrears shall be deposited in provident fund account of Judicial Officers and those Judicial Officers who do not have General Provident Fund accounts, arrears shall be deposited to the Contributory Provident Fund accounts/ Compulsory Saving Funds, forthwith (that is in current financial year):

Provided that due to any reason, whatsoever, if the first installment of the arrears due to a member or members of the services could not be paid during the current financial year 2010-11, then both the installments would be paid to him or them, as the case may be, in the next financial year 2011-12.

Explanation.—For the purpose of this rule “arrears of pay” in relation to a member of the services means the difference between:

- (i) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of the revision of his pay and allowances under these rules, and
- (ii) the existing emoluments to which he would have been entitled had his pay and allowances not been so revised.

(2) Where any member of the services has been posted in different establishments after 1st January, 2006, following procedure should be followed:-

- (i) All such establishments shall send to the establishment, where such member is posted at the time of disbursement of arrears, relevant details of his pay drawals necessary for calculation of amount of his arrears of pay, like existing pay, dearness allowance, interim relief, gross salary, deductions therefrom, treasury voucher number, bill number, date of encashment etc;
- (ii) On receipt of such details payment shall be made to the member by the establishment where he is posted at the time of disbursement of arrears;
- (iii) In case of members of Higher Judicial Service, the establishment making payment of arrears shall send to the High Court details, including calculation sheet thereof, for making entry in the service book of the member;
- (iv) In case of members of lower judicial service, entry in the service book of the member shall be made by the establishment making payment of arrears;
- (v) In case of members working in other departments of the Government, payment of arrears and entry in the service book shall be made by the department where such member is posted;
- (vi) In case of members serving or has been served on deputation on a foreign service, payment of arrears shall be made by the last establishment where he served before proceeding on foreign service on deputation or where he is posted after return from the foreign service on deputation and entry in the service book shall also be made by such establishment. In case he has returned from the foreign service, procedure as laid down in clauses (iii) & (iv) of this sub-rule as may be applicable shall be followed. However, in any case, payment of arrears for the period of foreign service shall be made by the body where such officer is serving or has served on deputation and entry in the service book shall also be made by such body for the period of deputation.

11 (1) **Retirement benefits.**—The members of the Services, who have ceased to be in service due to death or retirement on or after 1st July 2006, shall get the retirement benefits on the norms, as specified below with effect from 1st January, 2006, namely:—

- (i) The age of superannuation of the members of the Services shall be sixty years;

- (ii) Qualifying service for earning full pension shall be 20 years and in respect of those members of the Services who have not completed 20 years of qualifying service at the time of death or retirement, proportionate pension shall be calculated on the basis of actual qualifying service rendered by them;
- (iii) Last pay drawn shall be taken as emoluments for the purpose of pension, and full pension shall be 50% of such emoluments and in case of family pensioners, full pension shall be 30% of such emoluments;
- (iv) Maximum commutation of pension of the members of the Services shall be only upto 50% of their pension with restoration after 15 years;
- (v) The lump sum payable on commutation shall be calculated in accordance with the table of present values printed in Part-III of the Schedule. For the purpose of this rule the age in the case of impaired lives shall be assumed to be such age not being less than the actual age, as certifying medical authority may direct. In the event of the table of present values applicable to an applicant having been modified between the dates of administrative sanctioned to commutation and the date on which commutation is due, absolute payment shall be made in accordance with the modified pay bill but it shall be made in accordance with the modified table and it shall be open to the applicant, if the modified table is less favourable to him then that previously in force, to withdraw his application in writing dispatched within 14 days of the date on which notice of the modification:

Provided that in case of those members of the Services, in whose case commutation of pension become absolute on or after 1st January, 2006 but before the date of coming into force of these rules, the pre-revised table of Commutation Value for pension will be used for payment of commutation of pension based on pre-revised pay/pension. Such pensioners shall have an option to commute the amount of pension that has become additionally commutable on account of retrospective revision of pay /pension under these rules. On exercise of such an option, the revised table of Commutation shall be used for commutation of additional amount of pension that has become commutable on account of such revision of pay /pension. For the members of the Services retiring after the date of coming in force of these rules, revised table of Commutation shall be used;

- (vi) There shall be no ceiling for maximum pension;
- (vii) Death-cum-retirement gratuity, pension, commutation of pension and family pension of the Higher Judicial Service shall be as per the Madhya Pradesh District and Sessions Judges (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1964;
- (viii) Family pension of the officer of the Lower Judicial Services shall be determined as per provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976;
- (ix) The quantum of pension available to the old pensioners shall be increased as follow:—

Age of Pensioner (1)	Additional quantum of Pension (2)
From 70 years to less than 75 years	10% of basic pension
From 75 years to less than 80 years	20% of basic pension
From 80 years to less than 85 years	30% of basic pension
From 85 years to less than 90 years	40% of basic pension
From 90 years to less than 100 years	50% of basic pension
100 years or more	100% of basic pension

The Pension Sanctioning Authority should ensure that the date of birth and the age of a pensioner are invariably be indicated in the pension payment order to facilitate payment of additional pension by the Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. The amount of additional pension will be shown distinctly in the pension payment order;

- (x) The maximum limit of all kinds of gratuity shall be Rs. 10 lakh;
- (xi) The quantum of family pension available to the old family pensioners shall be increased as follow:—

Age of Family Pensioner (1)	Additional quantum of Pension (2)
From 70 years to less than 75 years	10% of basic family pension.
From 75 years to less than 80 years	20% of basic family pension.
From 80 years to less than 85 years	30% of basic family pension.
From 85 years to less than 90 years	40% of basic family pension.
From 90 years to less than 100 years	50% of basic family pension.
100 years or more	100% of basic family pension.

The Pension Sanctioning Authorities should ensure that the date of birth and the age of a family pensioner are invariably be indicated in the pension payment order to facilitate payment of additional pension by the Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. The amount of additional pension will be shown distinctly in the pension payment order.

(2) **Pension structure for the past pensioners.**—The Judicial Officers, who have ceased to be in service due to death or retirement prior to 1st January, 2006, shall get the following pension/family pension on the norms as specified below with effect from 1st January, 2006, namely:—

- (i) The revised pension of the retired Judicial Officers shall not be less than 50% of the minimum of the revised pay of the post held by the Judicial Officer at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time.
- (ii) The revised pension of the family pensioners shall not be less than 30% of the minimum of the revised pay of the post held by the Judicial Officer at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time;

(3) **Dearness relief to pensioners.**—The dearness relief shall be at the rates, as dearness allowance is admissible to serving Judicial Officers.

12. **Overriding effect of rules.**—In cases where the pay is regulated by these rules, the provisions of Fundamental Rules, Madhya Pradesh Judicial Service (Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2003 and any other rules shall not apply to the extent they are in consistent with these rules.

13. **Applicability of certain rules of the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 1998.**—Rules 5, 6, 7, 10 and 11 of the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 1998 shall be applicable to Judicial Service to the extent they are in consistent with these rules.

14. **Power to relax.**—The State Government may relax or suspend the operation of any of the provisions of these rules in such a manner and to such extent as may appear to be just and equitable or necessary or expedient in the public interest:

Provided that such relaxation or suspension shall not operate to the disadvantage to the Judicial Officer contrary to the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in the matter.

15. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Finance Department of the Government, whose decision shall be final.

FORM OF OPTION

(See rule 6)

I, hereby elect the revised scale of pay of Rs with effect from 1st January 2006.

OR

I, hereby elect to continue on the existing scale of pay of Rs. of my Substantive/Officiating Post of until

*(a) the date of my next increment.

OR

*(b) the date of subsequent increment raising my pay to Rs.

OR

*(c) I vacate the post or cease to draw pay in the existing scale of Rs.

Place

Signature

Date

Name

Designation

Office in which employed
(Strike off if inapplicable)

FOR OFFICIAL USE ONLY

Certified that the option submitted by Shri (Name) is received in the office on

Signature

Name

Designation

SCHEDULE

Part-I

[See rule 3(d), (e), (i) and 4]

S. No. (1)	Existing Posts (2)	Existing Scales (3)	Revised Scales (4)
(i)	Civil Judge (entry level)	9000—250—10750—300— 13150—350—14550	Rs. 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770.

(1)	(2)	(3)	(4)
	(ii) Civil Judge (Grade II) I ACP Grade (Non-functional, after completion of five years).	10750—300—13150—350—14900.	Rs. 33090—920—40450—1080—45850.
	(iii) Civil Judge (Grade I) II ACP Grade (Non-functional after completion of five years).	12850—300—13150—350—15950—400—17550.	Rs. 39530—920—40450—1080—49090—1230—54010.
2.	(i) Senior Civil Judge (promotion Grade after completion of five years).	12850—300—13150—350—15950—400—17750.	Rs. 39530—920—40450—1080—49090—1230—54010.
	(ii) Senior Civil Judge (Grade II) ACJM/CJM (I ACP Grade after completion of 5 years in the cadre of Senior Civil Judge).	14200—350—15950—400—18350.	Rs. 43690—1080—49090—1230—56470.
	(iii) Senior Civil Judge (Grade I) CJM/ACJM (II ACP Grade after completion of another five years in the cadre of Senior Civil Judge).	Rs. 16750—400—19150—450—20500.	Rs. 51550—1230—58930—1380—63070.
3.	District Judge (Entry level)	Rs. 16750—400—19150—450—20500.	Rs. 51550—1230—58930—1380—63070.
4.	District Judge (In Selection Grade Scale 25% of the Cadre Posts and would be given to those having not less than five years of continuous service in the Cadre).	Rs. 18750—400—19150—450—21850—500—22850.	Rs. 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290.
5.	District Judge (In Super time Scale 10% of the Cadre posts and would be given to those who have put in not less than three years of continuous service as Selection Grade District Judge).	Rs. 22850—500—24850	Rs. 70290—1540—76450

Note.—1. Conferment of benefit by way of ACP would not be automatic but shall be on the appraisal of their work and performance by a committee of Senior Judges of High Court constituted for the purpose.

2. In case where an officer in the cadre of Civil Judge or Senior Civil Judge (Senior Division) who has been provided the ACP refuses functional promotion to higher cadre in his return of seniority and merit, he shall be reverted to the original pay scale.

3. Selection Grade and supertime scale shall be given to District Judges on the basis of merit-cum-seniority.

Part-II

[See rule 7(1)]

TABLE-1

Civil Judge (Entry level)

Rs. 9000—250—1050—300—13150—350—14550.

Stage (1)	Existing Scale		Revised Scale	
	Increment (2)	Basic (3)	Increment (4)	Basic (5)
1	-	9000	-	27700
2	250	9250	770	28470
3	250	9500	770	29240
4	250	9750	770	30010
5	250	10000	770	30780
6	250	10250	770	31550
7	250	10500	770	32320
8	250	10750	770	33090
9	300	11050	920	34010
10	300	11350	920	34930
11	300	11650	920	35850
12	300	11950	920	36770
13	300	12250	920	37690
14	300	12550	920	38610
15	300	12850	920	39530
16	300	13150	920	40450
17	350	13500	1080	41530
18	350	13850	1080	42610
19	350	14200	1080	43690
20	350	14550	1080	44770

TABLE-2

Civil Judge (Grade-II) I ACP Grade

[On completion of 5 years continuous service from the date of entry, first stage of Assured Career Progression (ACP) Scale]

Rs. 10750—300—13150—350—14900.

Stage (1)	Existing Scale		Revised Scale	
	Increment (2)	Basic (3)	Increment (4)	Basic (5)
1	-	10750	-	33090
2	300	11050	920	34010
3	300	11350	920	34930

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	300	11650	920	35850
5	300	11950	920	36770
6	300	12250	920	37690
7	300	12550	920	38610
8	300	12850	920	39530
9	300	13150	920	40450
10	350	13500	1080	41530
11	350	13850	1080	42610
12	350	14200	1080	43690
13	350	14550	1080	44770
14	350	14900	1080	45850

TABLE-3

(i) Civil Judge (Grade-I) II ACP Grade

[On completion of 5 years continuous service in grade II, second stage of Assured Career Progression (ACP) Scale]

Rs. 12850—300—13150—350—15950—400—17550

(ii) Senior Civil Judge (Promotion Grade)

Rs. 12850—300—13150—350—15950—400—17550

Stage (1)	Existing Scale		Revised Scale	
	Increment (2)	Basic (3)	Increment (4)	Basic (5)
1	-	12850	-	39550
2	300	13150	920	40450
3	350	13500	1080	41530
4	350	13850	1080	42610
5	350	14200	1080	43690
6	350	14550	1080	44770
7	350	14900	1080	45850
8	350	15250	1080	46930
9	350	15600	1080	48010
10	350	15950	1080	49090
11	400	16350	1230	50320
12	400	16750	1230	51550
13	400	17150	1230	52780
14	400	17550	1230	54010

TABLE-4

Senior Civil Judge/Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate Grade-II.

(On completion of five years continuous service in the cadre of Senior civil Judge). First stage of ACP scale.

Rs. 14200—350—15950—400—18350

Stage (1)	Existing Scale		Revised Scale	
	Increment (2)	Basic (3)	Increment (4)	Basic (5)
1	-	14200	-	43690
2	350	14550	1080	44770
3	350	14900	1080	45850
4	350	15250	1080	46930
5	350	15600	1080	48010
6	350	15950	1080	49090
7	400	16350	1230	50320
8	400	16750	1230	51550
9	400	17150	1230	52780
10	400	17550	1230	54010
11	400	17950	1230	55240
12	400	18350	1230	56470

TABLE-5

(i) Senior Civil Judge Grade-I

(On completion of five years continuous service in the cadre of Senior Civil Judge grade II). Second stage of ACP scale.

Rs. 16750—400—19150—450—20500.

(ii) Category 3 (1) (c) District Judges (Entry level).

Rs. 16750—400—19150—450—20500.

Stage (1)	Existing Scale		Revised Scale	
	Increment (2)	Basic (3)	Increment (4)	Basic (5)
1	-	16750	-	51550
2	400	17150	1230	52780
3	400	17550	1230	54010
4	400	17950	1230	55240
5	400	18350	1230	56470
6	400	18750	1230	57700
7	400	19150	1230	58930
8	450	19600	1380	60310
9	450	20050	1380	61690
10	450	20500	1380	63070

TABLE-6

Category 3 (1) (b) District Judges in Selection Grade Scale.

Rs. 18750—400—19150—450—21850—500—22850.

Stage (1)	Existing Scale		Revised Scale	
	Increment (2)	Basic (3)	Increment (4)	Basic (5)
1	-	18750	-	57700
2	400	19150	1230	58930
3	450	19600	1380	60310
4	450	20050	1380	61690
5	450	20500	1380	63070
6	450	20950	1380	64450
7	450	21400	1380	65830
8	450	21850	1380	67210
9	500	22350	1540	68750
10	500	22850	1540	70290

TABLE-7

Category 3 (1) (a) District Judges in Super Time Scale

Rs. 22850—500—24850

Stage (1)	Existing Scale		Revised Scale	
	Increment (2)	Basic (3)	Increment (4)	Basic (5)
1	-	22850	-	70290
2	500	23350	1540	71850
3	500	23850	1540	73370
4	500	24350	1540	74910
5	500	24850	1540	76450

Part-III

[See rule 11(1)(v)]

COMMUTATION TABLE

Commutation value for a pension of Re. 1 per annum

Age next birthday (1)	Commutation value expressed as number of year's purchase (2)	Age next birthday (1)	Commutation value expressed as number of year's purchase (2)
	Rs. P.		Rs. P.
20	9.188	51	8.808
21	9.187	52	8.768

(1)	(2)	(1)	(2)
	Rs. P.		Rs. P.
22	9.186	53	8.724
23	9.185	54	8.678
24	9.184	55	8.627
25	9.183	56	8.572
26	9.182	57	8.512
27	9.180	58	8.446
28	9.178	59	8.371
29	9.176	60	8.287
30	9.173	61	8.194
31	9.169	62	8.093
32	9.164	63	7.982
33	9.159	64	7.862
34	9.152	65	7.731
35	9.145	66	7.591
36	9.136	67	7.413
37	9.126	68	7.262
38	9.116	69	7.083
39	9.103	70	6.897
40	9.090	71	6.703
41	9.075	72	6.502
42	9.059	73	6.296
43	9.040	74	6.085
44	9.019	75	5.872
45	8.996	76	5.657
46	8.971	77	5.443
47	8.943	78	5.229
48	8.913	79	5.018
49	8.881	80	4.812
50	8.846	81	4.611

[Basis : LIC (94-96) Ultimate Tables and 8.00% interest].

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.